रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 1974/ज्येष्ठ 31, 1896
No. 271] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 1974/JYAISTHA 31, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June 1974

SUBJECT.—*Procedure for Indenting and Despatch of Iron and Steel.*

S.O. 377(E)/ESS. COMM/IRON AND STEEL.—In exercise of the powers confessed by clause 17A of the Iron and Steel (Control) Order, 1956 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Heavy Engineering No. S.O. 1566, dated the 7th April, 1971, the Central Government hereby makes the following directions regarding the procedure to be followed in the placing of orders on producers or stockists of iron and steel and the despatch of the same, namely:—

1. All indentors requiring iron and steel for genuine purposes will approach the Joint Plant Committee set up by the Central Government under the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Heavy Engineering No. SC(I)-1(5)/71-B dated the 7th April, 1971 for planning their indents on producers subject to such limits, regulations, conditions that the Joint Plant Committee may prescribe from time to time.

2. The indents presented to the Joint Plant Committee shall be accompanied by such documents as may be prescribed by that Committee to satisfy the Committee that the indentor is a party authorised or competent to utilise the particular category of iron or steel for any genuine use in construction or fabrication

3. The Joint Plant Committee may reject any indent or alter the size/sections/tonnages indented for according to the criteria laid down by the Joint Plant Committee from time to time. In laying down such criteria, the Joint Plant Committee will take into consideration the Rolling Programmes of producers, availability of sections/categories, backlogs of old allocations and the quantum and genuineness of the consumers' demands.

4. In respect of those categories of iron and steel which one within the purview of the Steel Pritority Committee set up by the Central Government under the notification aforesaid, consumers who have orders booked with the main producers and who are interested in getting priority for delivery during any specified period should approach that Committee through their sponsoring authorities or in the manner prescribed by the above committee from time to time.

5. The priority allocations will be made six-monthly. Steel fabricating units whose requirements do not vary very much from period to period will be free to give their annual requirements at the beginning of each financial year instead of applying six-monthly.

[No. SC(I)-1(3)/74]

V. K. DAR, Jt, Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1974

विषय.—लोहे और इस्पात के लिए मांगपत्र भेजने और उसके प्रेषण की प्रक्रिया ।

का० आ० 397(अ)/आवश्यक वस्तु/लोहा और इस्पात.—केन्द्रीय सरकार लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956, के खण्ड 17-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 1566 तारीख 7-4-1971 को अधिक्रान्त करते हुए लोहे और इस्पात के उत्पादकों अथवा स्टाकिस्टों को आर्डर देने और उसके प्रेषण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया की बाबत निम्नलिखित निदेश करती है, अर्थात:—

1. सभी मांगकर्ता जिन्हें वास्तविक प्रयोजनों के लिए लोहे और इस्पात की अपेक्षा है, भारत सरकार के इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० सी० (1)-1(5)/71-बी, तारीख 7 अप्रैल 1971 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित संयुक्त संयंत्र समिति को ऐसी परिसीमाओं, विनियमों, शर्तों के अधीन रहते हुए जो संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा समय समय पर विहित की जाए, उत्पादकों को अपने मांगपत्र भेजने के लिए लिखेंगे ।

2. संयुक्त संयंत्र समिति को पेश किए गए मांगपत्रों के साथ ऐसे दस्तावेज रहेंगे जो उस समिति द्वारा विहित किए जाए जिससे कि समिति का समाधान हो जाए कि मांगकर्ता एक प्राधिकृत पक्षकार या सन्निर्माण या संरचना में किसी वास्तविक प्रयोग के लिए विशिष्ट प्रवर्ग के लोहा या इस्पात का उपयोग करने के लिए सक्षम है ।

3. संयुक्त संयंत्र समिति किसी मांगपत्र को अस्वीकृत या संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा समय-समय पर अधिकथित मानदन्ड के अनुसार आशयित आकार/सेक्शनों/टनमान को परिवर्तित कर सकेगी। ऐसे मानदन्ड अधिकथित करने में संयुक्त संयंत्र समिति उत्पादकों के बेलन कार्यक्रमों और सेक्शनों/प्रवर्गों की उपलब्धि, पुराने आवंटन के बकाया और उपभोक्ताओं की मांगों की मात्रा और उसकी वास्तविकता को ध्यान में रखेगी।

4. उन प्रवर्गों के लोहा और इस्पात की बाबत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना के अधीन स्थापित इस्पात पूर्विकता समिति के क्षेत्र में आते हैं, वे उपभोक्ता जो मुख्य उत्पादकों को मांगपत्र भेज चुके हैं और किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिदान की पूर्विकता पाने के लिए हितबद्ध हैं, उन्हें अपने प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से या उस रीति से, जो उक्त समिति द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, लिखना चाहिए।

5. पूर्विकता के आवंटन छमाही किए जाएंगे। इस्पात संरचना एकक जिनकी आवश्यकताएं अवधि से अवधि तक में परिवर्तित नहीं होती हैं, वे छमाही आवेदन करने के स्थान पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अपनी वार्षिक मांगों को देने के लिए स्वतन्त्र हैं।

[सं० एस० सी० (1)-1(3)/74]

वी० के० दर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974